This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार 22 मार्च, 2012/2 चैत्र, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 16 मार्च, 2012

संख्या वि0स0–विधायन–अनु0बजट/1–6/2012.—–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक–1) जो आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2012 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.** – इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2012 है ।

2. **हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2011 – 2012 के लिए 9,60,44,08,309 रुपए की और राशि जारी करना.** – हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धनराशियाँ जिनका योग 9,60,44,08,309 रुपए (नौ सौ साठ करोड़ चौतालीस लाख आठ हजार तीन सौ नौ रुपए) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2011-2012 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. **विनियोग.** – इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹	सचित निधि पर प्रभारित ₹	कुल ₹
1	2		3	4	5
1	विधान सभा	(पूंजी)	69,59,000	—	69,59,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	1,51,17,000	86,000	1,52,03,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	4,000	—	4,000
		(पूंजी)	2,00,00,000	—	2,00,00,000
4	सामान्य प्रशासन	(पूंजी)	2,74,89,000	—	2,74,89,000
5	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	(राजस्व)	4,15,69,000	—	4,15,69,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	13,71,30,000	—	13,71,30,000
		(पूंजी)	2,00,00,000	—	2,00,00,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	3,04,80,050	4,00,000	3,08,80,050
		(पूंजी)	2,93,76,000	—	2,93,76,000
8	शिक्षा	(राजस्व)	11,000	23,000	34,000
		(पूंजी)	1,58,21,000	—	1,58,21,000
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(राजस्व)	2,000	8,27,000	8,29,000
		(पूंजी)	60,00,000	—	60,00,000
10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	(पूंजी)	1,02,59,60,000	—	1,02,59,60,000
11	कृषि	(राजस्व)	6,07,98,000	—	6,07,98,000
		(पूंजी)	17,06,17,000	—	17,06,17,000
12	उद्यान	(राजस्व)	33,98,23,000	—	33,98,23,000
		(पूंजी)	12,99,99,000	—	12,99,99,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व)	3,000	—	3,000
		(पूंजी)	9,000	—	9,000
14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	13,23,89,600	38,01,409	13,61,91,009

1	2		3	4	5
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	(पूंजी)	15,00,00,000	—	15,00,00,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	—	4,35,73,000	4,35,73,000
		(पूंजी)	3,49,000	—	3,49,000
17	निर्वाचन	(राजस्व)	8,24,33,300	—	8,24,33,300
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति	(राजस्व)	1,000	—	1,000
	एवं सूचना प्रौद्योगिकी	(पूंजी)	50,00,000	—	50,00,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व)	84,52,30,686	6,37,740	84,58,68,426
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	1,000	—	1,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	53,55,000	—	53,55,000
		(पूंजी)	6,56,77,000	—	6,56,77,000
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(पूंजी)	1,25,00,000	—	1,25,00,000
23	विद्युत विकास	(पूंजी)	2,37,42,60,000	—	2,37,42,60,000
25	सड़क और जल परिवहन	(पूंजी)	10,00,00,000	—	10,00,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	1,000	—	1,000
		(पूंजी)	—	2,97,86,000	2,97,86,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	3,14,64,950	—	3,14,64,950
		(पूंजी)	24,10,97,000	—	24,10,97,000
28	शहरी विकास, नगर एवं	(राजस्व)	6,29,86,000	—	6,29,86,000
	ग्राम योजना तथा आवास	(पूंजी)	—	1,91,23,000	1,91,23,000
29	वित्त	(राजस्व)	—	2,000	2,000
		(पूंजी)	—	1,38,40,06,000	1,38,40,06,000

1	2		3	4	5
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व)	1,000	—	1,000
		(पूंजी)	1,20,03,000	—	1,20,03,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	22,94,70,000	32,69,632	23,27,39,632
		(पूंजी)	12,68,06,000	—	12,68,06,000
32	अनुसूचित जाति उप-योजना	(राजस्व)	46,96,34,457	—	46,96,34,457
		(पूंजी)	1,09,50,46,485	—	1,09,50,46,485
		(राजस्व)	**2,48,39,05,043**	**5,26,19,781**	**2,53,65,24,824**
		(पूंजीगत)	**5,63,49,68,485**	**1,43,29,15,000**	**7,06,78,83,485**
		कुल जोड़	**8,11,88,73,528**	**1,48,55,34,781**	**9,60,44,08,309**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की सचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में सचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुर:स्थापित है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
तारीख 16 मार्च, 2012

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(वित्त विभाग नस्ति संख्या: फिन-ए-सी (6)-2/2011)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के सविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुर:स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं

Bill No. 1 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2012.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2012.

2. Issue of a sum of further sums of Rs. 9,60,44,08,309 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2011-2012.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 9,60,44,08,309 (Rs. Nine hundred sixty crores, Fourty four lakhs eight thousand three hundred nine rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2011-2012 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section (2) of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly ₹	Charged on the Consolidated Fund ₹	Total ₹
1	2		3	4	5
01	Vidhan Sabha	(Capital)	69,59,000	—	69,59,000
02	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	1,51,17,000	86,000	1,52,03,000
03	Administration of Justice	(Revenue)	4,000	—	4,000
		(Capital)	2,00,00,000	—	2,00,00,000
04	General Administration	(Capital)	2,74,89,000	—	2,74,89,000
05	Land Revenue and District Administration	(Revenue)	4,15,69,000	—	4,15,69,000
06	Excise and Taxation	(Revenue)	13,71,30,000	—	13,71,30,000
		(Capital)	2,00,00,000	—	2,00,00,000
07	Police and Allied Organisations	(Revenue)	3,04,80,050	4,00,000	3,08,80,050
		(Capital)	2,93,76,000	—	2,93,76,000
08	Education	(Revenue)	11,000	23,000	34,000
		(Capital)	1,58,21,000	—	1,58,21,000
09	Health and Family Welfare	(Revenue)	2,000	8,27,000	8,29,000
		(Capital)	60,00,000	—	60,00,000
10	Public Works—Roads, Bridges and Buildings	(Capital)	1,02,59,60,000	—	1,02,59,60,000
11	Agriculture	(Revenue)	6,07,98,000	—	6,07,98,000
		(Capital)	17,06,17,000	—	17,06,17,000
12	Horticulture	(Revenue)	33,98,23,000	—	33,98,23,000
		(Capital)	12,99,99,000	—	12,99,99,000
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue)	3,000	—	3,000
		(Capital)	9,000	—	9,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue)	13,23,89,600	38,01,409	13,61,91,009

1	2		3	4	5
15	Planning and Backward Area sub-Plan	(Capital)	15,00,00,000	—	15,00,00,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	—	4,35,73,000	4,35,73,000
		(Capital)	3,49,000	—	3,49,000
17	Election	(Revenue)	8,24,33,300	—	8,24,33,300
18	Industries, Minerals, Supplies & Information Technology	(Revenue)	1,000	—	1,000
		(Capital)	50,00,000	—	50,00,000
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue)	84,52,30,686	6,37,740	84,58,68,426
20	Rural Development	(Revenue)	1,000	—	1,000
21	Co-operation	(Revenue)	53,55,000	—	53,55,000
		(Capital)	6,56,77,000	—	6,56,77,000
22	Food and Civil Supplies	(Capital)	1,25,00,000	—	1,25,00,000
23	Power Development	(Capital)	2,37,42,60,000	—	2,37,42,60,000
25	Road and Water Transport	(Capital)	10,00,00,000	—	10,00,00,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	1,000	—	1,000
		(Capital)	—	2,97,86,000	2,97,86,000
27	Labour, Employment and Training	(Revenue)	3,14,64,950	—	3,14,64,950
		(Capital)	24,10,97,000	—	24,10,97,000
28	Urban Development, Town and Country Planning and Housing	(Revenue)	6,29,86,000	—	6,29,86,000
		(Capital)	—	1,91,23,000	1,91,23,000
29	Finance	(Revenue)	—	2,000	2,000
		(Capital)	—	1,38,40,06,000	1,38,40,06,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue)	1,000	—	1,000
		(Capital)	1,20,03,000	—	1,20,03,000
31	Tribal Development	(Revenue)	22,94,70,000	32,69,632	23,27,39,632
		(Capital)	12,68,06,000	—	12,68,06,000
32	Scheduled Castes Sub-Plan	(Revenue)	46,96,34,457	—	46,96,34,457
		(Capital)	1,09,50,46,485	—	1,09,50,46,485
		(Revenue)	**2,48,39,05,043**	**5,26,19,781**	**2,53,65,24,824**
		(Capital)	**5,63,49,68,485**	**1,43,29,15,000**	**7,06,78,83,485**
		Grand Total	**8,11,88,73,528**	**1,48,55,34,781**	**9,60,44,08,309**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2011-2012.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 16th Marach, 2012

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin-A..C(6)-2/2011]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2012 recommends, under article 207 of the Constitution of Inida, be introduction and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 21 मार्च, 2012

संख्याः ई. एक्स.एन.–एफ(10)–6 / 2011–पार्ट.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 74) की धारा 13 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 का ओर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश), द्वितीय संशोधन रूल्ज 2012 है ।

2. **रूल 6 का संशोधन.**–सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त रूल्ज" कहा गया है) के रूल 6 के सब–रूल (21) के क्लाज (b) के पश्चात् निम्नलिखित प्रोवइजो अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"**Provided that the sale of goods manufactured in Himachal Pradesh made to Railways not being a registered dealer as per sub-section (2) of section 8 of Central Sales Tax Act, 1956 will be admissible subject to production of certificate in Form 'R' duly signed by the authorised officer of the Railways".**

3. **फार्म–R का अन्तःस्थापन.**–उक्त रूल्ज से संलग्न विद्यमान फार्म–IV के पश्चात् निम्नलिखित फार्म अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"Form-R

{See rule 6(21)(b)}
Certificate for making purchases by Indian Railways

(To be used while making purchases by Indian Railways not being a registered dealer.)

Name of the issuing Ministry/Department…….....…
Name and Address of issuing office …….....…….

To

M/s ……. *(seller)
……
……

Certified that the Goods Ordered for in our purchase Order No. …… dated …….....
Bill No. …… Date…….. Amount …….....…

1.
2.
3.
4.
and supplied under your Challan No. ……. Dated ……. Are purchased by or on behalf of the Indian Railways ……. (Name of the Division) for their exclusive use.

Date ……..

Signature ……..

Designation of the Authorized Officer of the Railways
Seal of the duly Authorized Officer of the Railways

*Name and Address of the seller with TIN.
…….
……".

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

{Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-6/2011-Part, dated 21st March, 2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India}.

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 21st March, 2012

No. EXN-F(10)-6/2011-Part.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970, namely:-

1. Short title.—These rules may be called the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) 2nd Amendment Rules, 2012.

2. Amendment of Rule 6.—In rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970, (hereinafter referred to as the 'said rules'), in sub-rule (21), after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely;

"**Provided that the sale of goods manufactured in Himachal Pradesh made to Railways not being a registered dealer as per sub-section (2) of section 8 of Central Sales Tax Act, 1956 will be admissible subject to production of certificate in Form 'R' duly signed by the authorised officer of the Railways".**

3. Insertion of Form– R.—After existing Form – IV appended to the said rules, the following Form – R shall be inserted, namely;

"Form-R
{See rule 6(21)(b)}

Certificate for making purchases by Indian Railways

(To be used while making purchases by Indian Railways not being a registered dealer.)

Name of the issuing Ministry/Department…….....……
Name and Address of issuing office …….....…….

To

M/s ……. *(seller)
……
……

Certified that the Goods Ordered for in our purchase Order No. …… dated …….....
Bill No. …… Date…….. Amount …….....

1.
2.
3.
4.

and supplied under your Challan No. ……. Dated ……. Are purchased by or on behalf of the Indian Railways ……. (Name of the Division) for their exclusive use.

Date ……..

Signature ……..
Designation of the Authorized Officer of the Railways
Seal of the duly Authorized Officer of the Railways

*Name and Address of the seller with TIN.
…….
……”.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 21मार्च, 2012

संख्या ई0एक्स0एन0–एफ(10)–6 / 2011–पार्ट(i).–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क' क` भाग–2–क में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती हैं और उसे जन साधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ;

इस संशोधन से सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को यदि कोई आक्षेप या सुझाव हैं, तो वह उसे / उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों) अथवा सुझाव(वों), यदि कोई है / हों, पर उसे / इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व, सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:–

प्रारूप संशोधन

पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची–'क' के भाग–2क में विद्यमान प्रविष्टि संख्याः 85 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

> “सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 में विर्निदिष्ट फार्म 'R' में रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के विरूद्ध भारतीय रेलवे को प्रदाय किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश में विनिर्मित माल, जिसमें रेल के डिब्बे, ईंजन, बोगियां और उनके भाग, विद्युत से संचालित लिफ्टिंग बैरियर और उनके भाग आदि भी सम्मिलित हैं ”।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

{Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-6/2011-Part(i), dated 21st March, 2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India}

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 21st March, 2012

No. EXN-F(10)-6/2011-Part(i).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following amendment in Part-IIA of Schedule 'A' appended to the Act and the same is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any interested person likely to be affected has any objection(s) or suggestion(s) with regard to these amendments, he may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of ten days from the date of publication of this notification;

Objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the same, namely:-

Draft Amendment

In Part-IIA of Schedule-A of the aforesaid Act, the existing entry no. 85 shall be substituted, namely:-

> **"Goods manufactured in Himachal Pradesh supplied to Indian Railways against a certificate in Form 'R' specified in the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 issued by authorized officer of the Railways including the rail coaches, engines, wagons and parts thereof, electrically operated lifting barriers and its parts etc.".**

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, 9th March, 2012

No.HHC/Admn.3(282)/90-I.—10 days earned leave on and w.e.f 12.03.2012 to 21.03.2012 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 10.03.2012 and 11.3.2012 is hereby sanctioned in favour of Shri Hem Raj, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Hem Raj is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hem Raj would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, 12th March, 2012

No.HHC/Admn.3(127)/79-I.—15 days earned leave on and w.e.f 22.03.2012 to 05.04.2012 with permission to suffix gazetted holiday falling on 06.04.2012 is hereby sanctioned in favour of hri Shiv Dayal Sharma, Deputy Registrar (Judicial-I) of this Registry.

Certified that Shri Shiv Dayal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Shiv Dayal Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar (Judicial-I) but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 5 मार्च, 2012

संख्याः आयु0–क (3)–1/94.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में आचार्य, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आचार्य, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**–(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या ए.वाई.आर.–सी–क–(3)–1/94, तारीख 16–05–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी विभाग, में आचार्य वर्ग–I सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसगंत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
सचिव (आयुर्वेद)।

उपाबन्ध–'क'

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में आचार्य वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पदनाम.**–आचार्य।

2. **पदों की संख्या.**–11 (ग्यारह)।

3. **वर्गीकरण.**– वर्ग–I (राजपत्रित)।

4. **वेतनमान.**–नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :
15600–39100 रूपए जमा 6600 / –रूपए ग्रेड पे ।
संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :
स्तम्भ 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 22,200 / –रूपए प्रतिमास ।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**–चयन ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**–18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए है और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थिय ं की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हता(एं).–(क) अनिवार्य अर्हर्तताएं.**–(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक की उपाधि ।

(ii) विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशषेज्ञता की विशेष ब्रांच में स्नातकोत्तर की उपाधि या सीसीआईएम या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधि ।

(iii) आयुर्वेद में स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में संस्कृत का एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो।

(iv) स्नातकोत्तर करने के पश्चात् पन्द्रह वर्ष का अध्यापन अनुभव हो जिसमें से सम्बन्धित विषय में छह वर्ष का रीडर के रूप में अध्यापन अनुभव हो ।

(ख) वांछनीय अर्हता.–हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियो) की दशा में लागू होंगी या नहीं.–*आयु :* लागू नहीं । *शैक्षिक अर्हताएं :* हों, जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या (iv) से अन्यथा जैसी उक्त स्तम्भ संख्या 7 में विहित की गई है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.–दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियां में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशत्ता.–शत् प्रतिशत् प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त किए गए कर्मचारी, स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थनान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्तिस्थानान्तरण किया जाएगा.–रीडर में से प्रोन्नति द्वारा, छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व (पोषक) पद पर में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में भी जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, बहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कन्ष्ठि पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टेक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत

भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्, जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**–जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**–जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**–किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**–सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15 क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगी :–

(I) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में आचार्य को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पदों का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.–प्रधान सचिव / सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने क` पश्चात्, अध्यपेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त आचार्य को 22,200 / –रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे–वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 670 / –रूपए की रकम (पद के पे–वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत्) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.–प्रधान सचिव / सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 22,200/— रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे—वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में 670/—रूपए (पद के पे—वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत्) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएंगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जायेगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड़) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यथिर्यो का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. **आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन—जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. **विभागीय परीक्षा.**—सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय—समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

———————

उपाबन्ध—ख

आचार्य और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव / सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती .....पुत्र पुत्री श्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव / सचिव आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्कार ने आचार्य के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार आचार्य के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोंनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

   परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण / नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि का नवीकृत / विस्तरित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार का संविदा रकम ..... रूपए प्रति मास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतय अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी हागी।

4. संविदात्मक आचार्य एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त आचार्य को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश, नियुमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक आचार्य कर्त्तव्य (डियुटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6 संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी अस्पताल, से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनपु युक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का सरकारी अस्पताल, से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

10. इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....
नाम .....
पता .....
.....

2.....
नाम .....
पता .....

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....
नाम .....
पता .....
.....

2.....
नाम .....
पता .....

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-Ka(3)-1/94 dated 5th March, 2012 as required under clause (3) of Article 309 of the Constitution of India)].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 5th March,2012

No. Ayur-Ka(3)-1/94.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Professor, Class-I (Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per **Annexure-'A'** attached to this notification, namely :-

1. Short title & Commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Professor,Class-I(Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, Professor, Class-I (Services) Recruitment & Promotion Rules, 1997, notified vide this Department's Notification No.Ayr.-C(Ka)-3/1/1994 dated 16-05-1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (Ayurveda).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF PROFESSOR CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AYURVEDA, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Professor.

2. Number of Post(s).—11(Eleven).

3. Classification.— Class-I (Gazetted).

4. Scale of Pay:.—(i) Pay scale for regular incumbents:
Pay band Rs.15600-39100 + 6600 /-Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees:
Rs.22,200/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection.

6. Age for direct recruitment .—45 years' and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidates appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contact appointment.

Provided further that the upper age limit is relaxable for scheduled caste/scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporations/autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such corporations/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous after initial constitution of the public sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational & other qualifications required for direct recruit(s): a) Essential Qualification(s).—(i) Bachelor Degree in Ayurveda from a recognized University or Concil of Indian System of Medicine established by law or from an Ayurvedic College recognized by the Government.

(ii) Post Graduate Degree in particular branch of speciality from any recognized University establishment by Law or the degree recognized by CCIM or H.P. Government; and

(iii) Should have studied Sanskrit as one of the subjects in the course of Bachelor Degree in Ayurveda.

(iv) Teaching experience of 15 years' after doing post-graduation out of which 6 years' as Reader in the concerned subject.

(b) Desirable Qualification.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the Promotee(s).—*Age:* Not applicable. ***Educational :*** Yes as prescribed ***Qualifications:*** against Column No.7 above except (iv).

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment or by promotiondeputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on contract basis, as the case may be.The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation transfer is to be made.—By promotion from amongst the Readers having six years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotions, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service(including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleat three year's or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less ;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements to be ineligible for consideration for such promotion ;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happended to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed forces Personnel(Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority threr-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen(Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotin against such post shall be taken into account towards the lengthof service, if the adhoc appointment/promotion had been made after propoer selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental promotion ommittee exits, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.S.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by Direct Recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedite by a written test, or a practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting agency, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Professor, in the Department of Ayurveda H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEWOF H.P.P.S.C.—The Principal Secretary/ Secretary (Ayurveda) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACUAL EMOLUMENTS.—The Professor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.22,200/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+Grade pay). An amount of Rs.670/-(3% of minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary/Secretary (Ayurveda), HP will be appointment and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.Public Service Commision.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL POINGMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-"B"** appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.22,200/- per month. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 670/- (3% of minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re- examined for the fitness from an authorized Govt. Medical officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rule like FR SR, Leave rules, GPF rules , Pension rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other category of persons issued by the Himachal Pradesh. Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P.Departmental Examination rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with HP.Public Service Commission, relax any of the Provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE PROFESSOR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH PRINCIPAL SECRETARY/ SECRETARY (AYURVEDA) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....between Sh/Smt.....son/daughter of Shri.....R/o.....contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as a Professor on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Professor for a period of one year commencing on the _____day of _____ and ending on _____ day of _____.It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with the SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

   Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs._____ per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Professor will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Professor. He will not be entitled for any kind of Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Professor will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years' tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on dministrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Govt. Hospital. In case of women candidates pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from Govt. Hospital.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular counterpart officer at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
Name_____
Address_____
_____
2. _____
Name _____
Address_____
_____

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
Name_____
Address_____
_____
2. _____
Name_____
Address_____
_____

(Signature of the SECOND PARTY)

_____

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 05 मार्च, 2012

संख्या आयु0–ख (15)–6 / 95–IV.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, वरिष्ठ प्राध्यापक, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या आर्यु0–सी–क–(3)–3/94 तारीख 01–08–1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा एंव होम्योपैथी विभाग, में वरिष्ठ प्राध्यापक (वर्ग–II) सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1996 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस पक्र ार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
सचिव (आयुर्वेद)।

————————

उपाबन्ध– **"क"**

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पदनाम.–– वरिष्ठ प्राध्यापक

2. पदों की संख्या.–– 15 (पन्द्रह)

3. वर्गीकरण.–– वर्ग–I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.––नियमित पदधारियों के लिए वेतन रू. 10300–34800 रूपए जमा 4800/–रूपए ग्रेड पे।

संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.––स्तम्भ 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 15100/–रूपए प्रतिमाह ।

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.––चयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.––18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छटू के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत

निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए है और उस पब्लिक सैक्टर नियमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियेजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हता(एं):

(क) अनिवार्य अर्हर्तता (एं).––(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वैदिक महाविद्यालय से आयुर्वेद म ें स्नातक की उपाधि ।

(ii) विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याय से विशेषज्ञता की विशेष ब्रांच में स्नातकोत्तर की उपाधि या सीसीआईएम या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधि ।

(iii) आयुर्वेदा में स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में संस्कृत का एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो।

(iv) स्नातकोत्तर करने के पश्चात् तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

(ख) वांछनीय अर्हता.––हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.–– आयु.––लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं.–– हां, जैसी उपरोक्त स्तम्भ–7 में विहित की गई है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्वति.––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शत् प्रतिशत् प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थनान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसें प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा.––प्राध्यापकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका ग्रेड में तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पर में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के

अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति, प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझाा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात, जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरियता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15 (क). संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :–

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.––प्रधान सचिव / सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यापेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ प्राध्यापक को 15,100 / – रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढोतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 460 / –रूपए की रकम (पद के पे वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.––प्रधान सचिव / सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तयों के लिए चयन समित.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 15,100 / – रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 460 / –रूपए (पद के पे–वैंड के न्यूनतम जमा ग्रे पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठत / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जायेगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यार्थी को सरकारी/रजिस्ट्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यथिर्यों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार हागें।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्ये सदस्य को, समय–समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

————

उपाबन्ध–ख

वरिष्ठ प्राध्यापक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती .....पुत्र पुत्री श्री..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव/सचिव आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में.....से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण / नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि का नवीकृत / विस्तारण की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम.....रूपए प्रति मास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतय अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक वरिष्ठ प्राध्यापक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक वरिष्ठ प्राध्यापक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश नियुमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक वरिष्ठ प्राध्यापक कर्त्तव्य (डियुटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी अस्पताल से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थिया ं की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का सरकारी अस्पताल से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्तं / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

10. इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....
नाम.....
पता .....
.....

2.....
नाम.....
पता.....

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

नाम .....

पता .....

.....

2.....

नाम .....

पता ..... (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———————

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-Kha(15 -6/95-IV dated 5th March, 2012 as required under clause (3) of Article 309 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 5th March,2012

No. Ayur-Kha(15)-6/95-IV.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Lecturer, Class-I (Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per **Annexure-'A'** attached to this notification, namely:-

1. Short title & Commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Senior Lecturer, Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, Senior Lecturer, Class-II (Services) Recruitment & Promotion Rules 1996, notified vide this Department's Notification No. Ayr-C- (Ka)-/3/3/1994 dated 01-08-1996 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any Appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (Ayurveda).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR LECTURER CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AYURVEDA, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of Post.—**Senior Lecturer

2. **Number of Post(s) .—**15(Fifteen)

3. **Classification.—**Class-I(Gazetted)

4. **Scale of Pay.—***(i) Pay scale for regular incumbents***.—**Pay band Rs.10300-34800 + 4800 /- Grade Pay.

*(ii) Emoluments for contract employees***.—**Rs.15,100/- as per details given in Column 15-A.

5. **Whether "selection" post or "Non selection" post.—**Selection

6. **Age for direct recruitment.—**Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidates appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he /she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contact appointment.

Provided further that the upper age limit is relaxable for scheduled caste/scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporations/autonomous Bodies me of initial constitutions of such corporations/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous after initial constitution of the public sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. **Minimum educational & other qualifications required for direct recruit(s)** *.—(a) Essential Qualification(s)***.—**(i) Bachelor Degree in Ayurveda from a recognized University or Concil of Indian System of Medicine established by law or from an Ayurvedic College recognized by the Government.

(ii) Post Graduate Degree in particular branch of speciality from any recognized University established by Law or the degree recognized by CCIM or H.P. Government; and

(iii) Should have studied Sanskrit as one of the subjects in the course of Bachelor Degree in Ayurveda.

(iv) Three year's teaching experience after doing post-graduation.

(b) Desirable Qualification.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the Promotee(s).—*Age.*—Not applicable.

Educational **Qualifications**.—Yes, as prescribed against Column No.7 above.

9. Period of probation, if any.—Two year's subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation transfer is to be made.—By promotion from amongst the Lecturers possessing three year's regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotions, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service(including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleat three year's or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less ;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements to be ineligible for consideration for such promotion ;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happended to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed forces Personnel(Reservation

of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority threr-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen(Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotin against such post shall be taken into account towards the lengthof service, if the adhoc appointment/promotion had been made after propoer selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental promotion ommittee exits, what is its Composition ? .—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.S.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by Direct Recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedite by a written test, or a practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting agency, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Senior Lecturer, in the Department of Ayurveda H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC**.—**The Principal Secretary/ Secretary (Ayurveda) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACUAL EMOLUMENTS.—The Senior Lecturer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.15,100/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+Grade pay). An amount of Rs.460/-(3% of minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(**III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—**The Secretary/Principal Secretary (Ayurveda) H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.Public Service Commision.

(**V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINGMENTS.**– As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.15,100/- per month. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 460/- (3% of minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re- examined for the fitness from an authorized Govt. Medical officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rule like FR SR, Leave rules, GPF rules , Pension rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other category of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P.Departmental Examination rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with HP.Public Service Commission, relax any of the Provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE SENIOR LECTURER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH PRINCIPAL SECRETARY/SECRETARY (AYURVEDA) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH.

This agreement is made on this_____ day of _____in the year _____ between Sh/Smt. _____ son/daughter of Shri_____R/o_____ _____ contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as a Senior Lecturer on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Lecturer for a period of one year commencing on the _____ day of _____ and ending on _____ day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with the SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

   Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs._____ per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Senior Lecturer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Senior Lecturer. He will not be entitled for any kind of Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Senior Lecturer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Govt. Hospital. In case of women candidates pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be reexamined for fitness from Govt. Hospital.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular counterpart officer at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
Name_____
Address_____
_____

2. _____
Name _____
Address_____
_____

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. _____
Name_____
Address_____
_____

2. _____
Name_____
Address_____
_____

(Signature of the SECOND PARTY)

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 21 मार्च, 2012

संख्या गृह–बी(2)–9 / 2009.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्योक3) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियं के भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2012 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. **भत्तों की दरें.**– अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियं का मंहगाई भत्ता, आवास भत्ता, राजधानी भत्ता, प्रतिकरात्मक भत्ता और परिवार नियोजन भत्ता वही होगा जो राज्य सरकार के तत्स्थानी प्रवर्गों के कर्मचारियों को अनुज्ञये है।

3. **कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों का विशेष भत्ता.**–(1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित अभिलेखागार / प्रापर्टी रुम में कार्यरत कर्मचारिवृन्द 100 / – रूपए प्रतिमास विशेष भत्ते के हकदार होंगे।

(2) बेलिफ और तामीलकर्ता(प्रोसेस सर्वर) 200 / –रूपए प्रतिमास नियत यात्रा भत्ते के हकदार होंगे।

(3) तहसील, उप–मण्डल और जिला स्तर पर तैनात आशुलिपिक 100 / – रूपए प्रतिमास विशेष भत्ते के हकदार होंगे।

(4) शिमला में कार्यरत आशुलिपिक 150 / – रूपए प्रतिमास विशेष भत्ते के हकदार होंगे।

4. **सेवा की अन्य शर्तें.**– अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें उन नियमों द्वारा ही विनियमित होंगी जो राज्य सरकार के तत्स्थानी कर्मचारियों को लागू है।

5. **निर्वाचन.**– इन नियमों के किन्ही उपबन्धों के निर्वचन से सम्बन्धित यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार उसका विनिश्चय करेगी और उस पर इसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

आदेश द्वारा,
पी0 सी0 धीमान,
प्रधान सचिव (गृह)।

[Authoritative English Text of this Department's notification No. Home-B(E)2-9/2009, dated 21.3.12 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st March,2012

No. Home-B(E)2-9/2009.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (2) of section 3 read with section 4 of the Himachal Pradesh Subordinate Courts Employees (Pay, Allowances and Other Conditions of Service) Act, 2005 (Act No.3 of 2006), is pleased to make the following rules to regulate the allowances and other conditions of service of the Subordinate Courts' employees, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Subordinate Courts Employees (Allowances and Other Conditions of Service) Rules, 2012. (2) They shall come into force with immediate effect.

2. Rates of Allowances.—The Dearness Allowance, House Rent Allowance, Capital Allowance, Compensatory Allowance and Family Planning Allowance to the Subordinate Courts' Employees shall be the same as admissible to the corresponding categories of employees of the State Government.

3. Special Allowance to certain categories of employees. —(1) Staff working in the Record Room/ Property Room as notified by the Hon'ble High Court shall be entitled to Rs. 100/- Per Month as Special Allowance.

(2) The Bailiffs and Process Servers shall be entitled to Rs. 200/- Per Month as fixed Travelling Allowance.

(3) The Stenographers posted at Tehsil, Sub-Division and District Level shall be entitled to Rs. 100/- Per Month as Special Allowance.

(4) The Stenographers working in Shimla shall be entitled to Rs. 150/-Per Month as Special Allowance.

4. Other Conditions of Services.—The other conditions of service of the Subordinate Courts' Employees shall be governed by the same rules as are applicable to the corresponding employees of the State Government.

5. Interpretation. —If any question arises in relation to interpretation of any of the provisions of these rules, the State Government shall decide the same and its decision thereon shall be final.

By order,
P. C.DHIMAN,
Principal Secretary(Home)

क्रमांकः एफडीएस–केजीआर(आपूर्ति)–
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामल विभाग।
जिला कांगडा (हि0प्र0)

अधिसूचना

पिछले सभी आदेशों एवं अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हि0प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश,1977 के खण्ड–3 (1)(इ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर0एस0 गुप्ता, (भा0प्र0से0) जिला दण्डाधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला, जिला कांगडा में निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गए समस्त करों सहित परचून विक्रय मूल्य निर्धारित करता हूं। जिला कांगडा में कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ता से नहीं लेगा।

क्र0सं0	अनुसूची संख्या	वस्तु का नाम	परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित।
1.	2.	3.	
	मीट बकरा, मुर्गा, मछली की दरें		
1.	12.	1. मीट बकरा / मेढा प्रति किलोग्राम।	200.00
		2. मुर्गा जीवित किलोग्राम।	90.00
		3. मुर्गा ब्राइलर ड्रैस्ड प्रति किलोग्राम।	130.00
		4. मीट सूअर प्रति किलोग्राम।	100.00
		5. मछली ग्रेड– I (कच्ची) प्रति किलोग्राम।	मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य तथा परचून बिक्री पर 7: लाभांश
		6. मछली ग्रेड– II (कच्ची प्रति किलोग्राम।	
		7. मछली तली हुई प्रति किलोग्राम।	160.00
	होटल / ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियों इत्यादि की दरें		
2.	17	1. पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल / चपाती प्रति खुराक	35.00
		2. स्पैशल सब्जी आलू–मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू–गोभी, पालक, आलूबैंगन, भर्था,भिण्डी प्रति प्लेट	25.00
		3. दाल फाई प्रति प्लेट	20.00
		4. मटर पनीर एवं पालक पनीर प्रति प्लेट	30.00
		5. चिकन करी / मुर्गा पका हुआ 6 पीस तरी सहित प्रति प्लेट	40.00
		6. मीट पका हुआ 6 पीस तरी सहित	50.00
		7. तवा चपाती प्रति	3.00
		8. तन्दूरी चपाती प्रति	3.00
		9. परोंठा भरा हुआ आचार सहित	10.00
		11.दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट	15.00
	दूध दहीं एवं पनीर की दरें		
3	18.	1. हलवाईयों / गवालों द्वारा बेचे जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर	25.00
		2. दूध पैक्ट (सभी ब्रांड का)	पैकेट पर अंकित मूल्य पर
		3. दहीं प्रति किलो ग्रम	35.00
		4. दूध / दहीं पैक्ट (सभी ब्रांड का)	पैकेट पर अंकित मूल्य पर
		5. पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयातित प्रति किलो ग्रम	180.00
		6. स्थानीय पनीर खुला प्रति किलो ग्रम	180.00

	ठण्डे पेय पदार्थ		
4.	20.	1. बोतल वाले पेय	कम्पनी द्वारा निर्धारित बोतलों पर अंकित मूल्य / जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित लाभांश में से जो भी कम हो।

नोटः– उक्त निर्धारित दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटलों एवं रेस्तरां में लागू नहीं होंगी।

1. उक्त निर्धारित दरें समस्त जिला कांगडा में हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) / ई–गजट में प्रकाशित होने के प्रश्चात अगामी एक माह तक लागू रहेगीं। उपरोक्त निर्धारित दरों को सभी परचून दुकानदारों, होटल ढाबा मालिक एवं मछली विक्रेता अपने–2 व्यापारिक परिसरों में / दुकानों के बाहर ग्राहकों की जानकारी हेतू मूल्य सूची के रुप में स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करेंगे जोकि स्पष्ट रुप में देवनागरी लिपि में लिखी होनी आवश्यक है। मूल्य सूची दुकानदार / भागीदार / प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
2. प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैशमैमों देना अनिवार्य होगा।

हस्ता / –

(आर0 एस0 गुप्ता)
भा0प्र0से0
जिला दण्डाधिकारी,
कांगडा जिला कांगडा

पृष्ठांकन संख्याः 1654–724 दिनांकः 21.03.2012

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित